कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 हरदोई।

पत्रांक– [illegible] /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 17 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245 /2025/ 313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हरदोई के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल **http://upanganwadibharti.in** पर आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	परियोजना/ विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण/ शहरी	आ0बा0 सहायिका के रिक्त पदो की संख्या आरक्षणवार			कुल रिक्त पदों की संख्या
			General(UR)	Other Backward Caste(OBC)	Scheduled Caste(SC)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अहिरोरी	ग्रामीण	80	15	18	113
2	बावन	ग्रामीण	44	15	12	71
3	बेहन्दर	ग्रामीण	14	11	13	38
4	भरावन	ग्रामीण	30	11	10	51
5	भरखनी	ग्रामीण	28	13	13	54
6	बिलग्राम	ग्रामीण	58	39	22	119
7	शहर	शहरी	12	5	7	24
8	हरियावां	ग्रामीण	31	10	12	53
9	हरपालपुर	ग्रामीण	28	11	12	51
10	कछौना	ग्रामीण	32	18	13	63
11	कोथावां	ग्रामीण	60	18	20	98
12	माधोगंज	ग्रामीण	28	19	12	59
13	मल्लावां	ग्रामीण	18	13	4	35
14	पिहानी	ग्रामीण	45	18	19	82
15	साण्डी	ग्रामीण	25	11	8	44
16	सण्डीला	ग्रामीण	17	9	12	38
17	शाहाबाद	ग्रामीण	12	9	4	25
18	सुरसा	ग्रामीण	41	27	21	89
19	टडियावां	ग्रामीण	21	10	9	40
20	टोडरपुर	ग्रामीण	21	7	5	33
TOTAL			645	289	246	1180

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर अपलोड होगी।

आंगनवाडी सहायिका के पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. आंगनवाड़ी सहायिका के पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगें।
2. आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेंरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पदों के ग्रामसभा/वार्ड(शहरी) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्रामसभा/वार्ड के आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. रिक्त पद के ग्रामसभा/वार्ड(शहरी) में उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी भी पात्र होगीं।
5. आवेदिका की आयु 01 जुलाई, 2025 (कट ऑफ डेट) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम् 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
7. आंगनवाड़ी सहायिका हेतु विज्ञाप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत ही स्वीकार्य किये जायेगें। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किए जाएंगे।
8. विज्ञप्ति मे प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक–17.11.2025 से 07.12.2025 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें।
9. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ सकती है।
10. उपरोक्त विज्ञप्ति में पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास विभाग) कार्यालय, हरदोई से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा।

12. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होगें। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी श्रेणी के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगें।

14. आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

15. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–8 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो सके। इस सम्बन्ध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

16. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

17. आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता कमानुसार निम्नवत है:–

- i) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
- ii) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यकता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
- iii) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
- iv) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
- v) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यकता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
- vi) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

नोटः– विधवा महिला हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार रजिस्टर पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता महिला के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगी।

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
हरदोई।

पृष्ठांकन संख्या C-2616 /तद्दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, हरदोई।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) हरदोई।
6. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित शासकीय दरों पर कम से कम स्थान में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हरदोई के इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास भवन, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, जनपद हरदोई को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण उपपरोक्त विज्ञप्ति में वर्णित सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त परियोजना कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार–प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

17/11/2025

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।